

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

CVs Module 02 ग्राम सभा एवं संगठनों की भागेदारी
(परिवर्तन प्रेरकों हेतु)

महिला बचत समूहों और ग्रामीण

संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी



“सचेत” परियोजना : एक साझी पहल

टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयवस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	● प्रशिक्षण के वातावरण का निर्माण
01.00	● ग्राम सभा का गठन एवं महात्व	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्रामसभा की शक्तियां एवं पेसा कानून क्या और क्यों ● पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा संबंधि नियम कायदे। ● पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार 	<ul style="list-style-type: none"> ● बाघ-बकरी खेल खेल से निकले मुद्दों का विश्लेषण जानकारी देना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम सभा के अधिकार एवं पेसा के विशेष प्रावधानों पर समझ
01.00	● ग्राम सभा संचालन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ● कैसे करे ग्राम सभा में भागीदारी ● ग्राम सभा सदस्यों के अधिकार ● ग्रामसभा बैठक में भागीदारी की कार्ययोजना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● जानकारी देना। ● समूहों में अभ्यास 	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम सभा में भागीदारी की प्रक्रिया पर समझ
01.00	● ग्राम सभा की स्थाई एवं अस्थाई समितियों क्या क्यों और कैसे	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम सभा की स्थाई समितियों की गठन प्रक्रिया एवं कार्य ● ग्राम सभा की अस्थाई समितियों का गठन एवं कार्य 	<ul style="list-style-type: none"> ● संवाद ● खुली चर्चा ● फ़िल्म या पीपीटी 	<ul style="list-style-type: none"> ● समितियों का गठन एवं उनके महात्व पर समण
	● ग्राम सभा के अनुभव एवं परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम सभा में अनुभवों का विश्लेषण ● ग्राम सभा में हमारे प्रयास ● ग्राम सभा में जाने की रणनीति ● मुद्दों की पहचान एवं योजना बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● संवाद ● समूह चर्चा ● प्रस्तुतीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम सभा में भाग लेने की तैयारी पर समझ ● संगठनों की ग्राम सभा में भूमिका पर समझ

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाये। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागीयों को एकत्र होने में 1-2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परियच के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागीयों की विषय पर समझ ज्ञान रूचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रूचिकर हो और प्रतिभागीयों के अनुकुल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागीयों को इकट्ठा होने में 30-40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागीयों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागीयों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागीयों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागीयों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागीयों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं०-१ में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागीयों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोडे में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है। परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

प्रथम सत्र

01.00

जाने ग्राम सभा की शक्तियाँ क्या हैं

यहाँ पर प्रशिक्षण में सभी बदलाव दीदीयों को एक खेल जिसका नाम “बाघ-बकरी” है। खेल इस प्रकार है:-

1. पूरे समूह को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाएगा। हर समूह में 4 सहभागी होंगे। इसमें से दो सहभागी खेल खेलेंगे तथा बाकी दो सहभागी दर्शक के रूप में रहेंगे और अवलोकन करेंगे।
2. जब दो सहभागी खेल पूरा कर लेंगे तो उस समूह के दूसरे दो सहभागी यह खेल खेलेंगे। इस तरह यदि समय हो तो सभी सहभागी इसे खेल सकते हैं।
3. खेल के बाद उस पर सभी सहभागियों से चर्चा करें।

कैसे खेला जाएगा बाघ बकरी खेल?

1. सहभागियों को खेल के बारे में बताते हुए पूछें कि कौन बाघ बनना चाहेगा और कौन बकरी?
2. इस तरह दो खिलाड़ी होंगे— एक बाघ और दूसरा बकरी।
3. चार्ट पर दो बड़े पत्थर रखे जाएंगे, जो बाघ होंगे और 32 छोटे कंकड़ या चने के दाने रखे जाएं जो बकरी होंगे। दिए गए चित्र के अनुसार बाघ और बकरी को चार्ट पर रखें।
4. बाघ-बकरी जो लाईन बनी है उस पर चलेंगे।
5. बाघ चाहे तो बकरी के ऊपर से कूद कर अगले पड़ाव, जहां लाईनें क्रास करती हैं, पर जाकर बैठ जाएगा। और जिस बकरी को उसने कूद कर पार किया है वह बकरी उठा लें यानी बाघ ने वह बकरी खा ली है।
6. एक चक्कर पूरा कर लेने पर उसकी चाल खत्म हो जाएगी।
7. बकरी बाघ से बचाव के लिए प्रयास करेंगी। उसे बाघ पर झापटने या कूदने की इजाजत नहीं है। किन्तु वह चाहे तो बाघ को चारों तरफ घेर कर फँसा सकती है। यदि बकरी के आगे वाली

क्रासिंग पर भी बकरी मौजूद है तो बाघ उस बकरी को लांघ नहीं सकता है। यानी बाघ का वह रास्ता बंद हो जाएगा।

8. खेल तब तक चलेगा, जब तक कि बाघ के या तो सारे रास्ते बंद न हो जाए या बाघ सभी बकरियों को न खा लें।
9. इस तरह खेल की एक पारी खत्म होने के बाद समूह के अन्य सहभागी यह खेल खेलेंगे या ये ही सहभागी भूमिका बदलकर खेल सकते हैं।

खेल के आधार चर्चा

सहभागियों द्वारा खेले गए बाघ बकरी खेल के आधार पर चर्चा करते हुए समाज की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर बातचीत की जाएगी:-

1. यह माना जाता है कि बाघ सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इस खेल को शुरू करने से पहले भी क्या बाघ ही ताकतवर दिखाई दे रहा था?
2. बाघ बकरियों को क्यों खा पाता है?
3. बकरियां बाघ को किस तरह धेर पाई?
4. समाज में ऐसा खेल कहां-कहां चलता है? कैसे चलता है?

इससे यह संदेश सामने आता है कि यदि लोगों की ताकत बिखरी रहती है तो वे ग्रामसभा तथा ग्राम पंचायत से अपने काम नहीं करवा सकते। इसलिए यदि अपने काम करवाना हो और स्थानीय स्वशासन में भागीदारी करनी हो तो हम सभी को आपस में अपना नेटवर्क बनाकर या एकजुटता दिखाकर ही भागीदारी करनी होगी। इससे हम अपने मुद्दों को मिलजुल कर हल करवा सकते हैं और एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।

इसे उदाहरण सहित बताने के लिए विभिन्न पंचायतों में महिलाओं द्वारा किए गए शराबबंदी आंदोलन और अन्य आंदोलनों के बारे में भी बता सकते हैं।

इस खेल और इन उदाहरणों से हमने संगठन की ताकत को समझा, अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि इस एकता की ताकत को उपयोग हम कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं।

कुछ सवाल यहाँ पूछे जाये।

- क्या इस तरह की एकता अपके समूह में रहती है।
- क्या इस तरह की एकता ग्राम संगठन में देखने को मिलती है।
 - अगर हॉं तो यही एकता ग्राम सभा के आयोजन में क्यों देखने को नहीं मिलती।


➤ शायद जबाब ये आये कि समूह और संगठन निर्माण से लेकर संचालन तक हमारा निरंतर क्षमता विकास का कार्य किया गया। लेकिन ग्राम सभाओं और पंचायतों के बारे में सतही जानकारी है विस्तार से नहीं

प्रशिक्षक द्वारा यहाँ बदलाव दीदीयों को ग्राम सभा के प्रावधानों एवं शक्तियों आदि के बारे में विस्तार से समझ बनाई जाये।

ग्राम सभा का गठन एवं उसका महात्व

ग्राम सभा —: पंचायत

राज अधिनियम में ग्रामसभा को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ग्राम के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम हो, ग्रामसभा के सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को ग्रामसभा में अपने मुद्दे रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और फैसलों में भागीदारी करने का अधिकार है। अधिकारों के साथ—साथ ग्राम सभा की



जिम्मेवारी भी बढ़ गई है।

ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य

- ग्राम सभा की अनुमति के बिना पंचायत कोई कार्य नहीं करा सकती
- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना
- सभी प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदित करना

- ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और सिफारिश करना
- सोशल ऑडिट कराना
- पेयजल एवं अन्य उपयोग के लिये जल संबंधी संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव
- हितग्राही मूलक योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन
- बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना
- सामुदायिक कार्यों के लिये श्रम दान एवं अन्य सहयोग करना
- ग्राम पंचायत के आय-व्यय का प्रमाणीकरण करना

आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा एवं पेसा कानून क्या और क्यों ?

देश में पंचायत राज की स्थापना के बाद यह सवाल सामने आया कि आदिवासी क्षेत्रों में इसे कैसे लागू किया जाए? क्या आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को उसी तरह लागू किया जाए, जैसे की देश के अन्य भागों में लागू की गई है? यह सवाल इसलिए सामने आया कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन के विशेष अधिकार की बात कही गई है। यानी उन्हें अपने जमीन-जंगल, रीति-रिवाज, वाद-विवाद और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में खास अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में सन् 1996 में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कानून पारित किया गया, जिसे “पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) 1996” कहा गया। इसी कानून को अंग्रेजी में “पंचायत एक्शन इन शेड्यूल्ड एरियाज”(पेसा कानून) कहा जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए फेसलों को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस तरह संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन के स्थापना की कल्पना की गई। इस व्यवस्था को साकार रूप देने और बनाए रखने के लिए कानून में व्यापक प्रावधान किए गए।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा संबंधी नियम-कायदे

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए विशेष नियम-कायदे तय किए गए हैं, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 129 (क) में किया गया है। इस कानून के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में फलियों या मजरों को भी अलग ग्राम सभा माना जा सकता है और वहाँ का प्रत्येक मतदाता उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। इस कानून को लागू करने के लिए प्रत्येक गांव या मजरों, टोलों या फलियों के लोगों को अपने यहाँ ग्राम सभा का गठन करना जरूरी है।

१. ग्राम सभा का गठन

आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गांव/मजरा/टोला/पारा/फलिया/पुरा/खुड़ा आदि में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गांव के सभी लोगों को बैठक कर यह प्रस्ताव पास करना होगा कि इस गांव/मजरा/टोला, या फलिया के लोग अपने यहां पेसा कानून के अंतर्गत एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। यह प्रस्ताव पास कर उसे विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) को प्रस्तुत किया जाएगा (म.प्र. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 का नियम 4)। इस प्रस्ताव के साथ उस गांव या मजरा/टोला या फलिया की जनसंख्या एवं परिवार संख्या का विवरण भी साथ में लिखकर एस.डी.एम. को दिया जाएगा।

ग्राम सभा का कोरम एवं सर्वसम्मति से ग्राम सभा गठन के लिए पारित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एस.डी.एम. द्वारा इसकी सूचना संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चिपका दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या असहमति हो तो वह उसमें दी गई तारीख से पहले अपनी आपत्ति लिखित रूप में एस.डी.एम. को दे सकता है। इस तरह की कोई आपत्ति आने पर एस.डी.एम. द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, यदि आपत्ति सही नहीं पाई गई तो उसे खारिज कर ग्राम सभा के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह यदि निश्चित तारीख तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो ग्राम सभा की घोषणा कर दी जाएगी।

विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) द्वारा ग्राम सभा में शामिल होने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, प्रस्तावित रहवासी मतदाताओं की रुद्धियां एवं परपंराओं आदि पर विचार करके नई ग्राम सभा के गठन की घोषणा की जाएगी—नियम 4(ड)। ग्रामसभा की इस घोषणा के बाद अगले महीने की पहली तारीख से वहां ग्राम सभा अस्तित्व में आ जाएगी—नियम 5(1)। एस.डी.एम. द्वारा इस घोषणा की एक प्रति जिला कलेक्टर, उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी—नियम 5(2)।

२. ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा के गठन के बाद पेसा कानून के अनुसार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक कब—कब की जाएगी, यह ग्राम सभा के सामने उपलब्ध मुद्रे और जरूरत के अनुसार ग्राम सभा द्वारा तय किया जाएगा। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार ग्रामसभा की बैठक करना जरूरी है। साथ ही यदि ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाती है, तो ग्राम सभा की बैठक एक माह के अंदर बुलाई जाएगी (म.प्र. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 के नियम 6 के अनुसार)।

३. ग्राम सभा का कोरम

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिये कुल मतदाताओं में से कम से कम एक तिहाई मतदाताओं का उपस्थित होना जरूरी है। यानि 100 सदस्यों वाली ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिये 33 सदस्य जिसमें 11 महिलाएं हो की उपस्थिति अनिवार्य है। (नियम 9)।

४. ग्राम सभा की अध्यक्षता

ग्राम सभा शुरू होते ही सबसे पहले वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा किसी एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा ग्राम पंचायत का सचिव न हो। यानि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व सचिव द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। (नियम 10)

ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा का संचालन किया जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष सबसे पहले यह तय करेगा/करेगी कि किन-किन मुद्दों पर और किस क्रम में बातचीत होगी। ग्राम सभा की बैठक सामाप्त होने से पहले ग्राम सभा द्वारा लिए गए सभी निर्णय व कार्यवाही का विवरण सभी को पढ़कर सुनाया जाएगा। [नियम 11(1) एवं (2)]

५. ग्राम सभा के फैसले

ग्राम सभा के सभी निर्णय सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से लिए जाएंगे। यदि किसी मुद्दे पर कुछ सदस्य असहमत हों, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों न हो, तब भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। उस मुद्दे पर निर्णय को अगली ग्राम सभा की बैठक तक स्थगित कर दिया जाएगा। ग्राम सभा की अगली बैठक में फिर से उस पर चर्चा की जाएगी और सभी की सहमति होने पर ही निर्णय लिया जाएगा। यदि इस बैठक में भी कुछ लोग असहमत हों तो उसे फिर अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और तीसरी बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी तथा मतदान द्वारा बहुमत से फेसला लिया जाएगा। यानी दो बैठकों में सर्वसम्मति न होने पर ही तीसरी बैठक में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसमें बहुमत का फेसला माना जाएगा। यदि मतदान के दौरान किसी व्यक्ति की सदस्यता या मतदान पर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस पर विचार किया जाएगा और उसके मत देने या न देने के बारे में अंतिम फेसला ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

इस मतदान में अध्यक्ष द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों में बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत लेकर फेसला किया जाएगा (नियम 12)।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129(ग) में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों (अधिकारों) का उल्लेख है। इसके अनुसार :—

- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को परंपराओं, रुद्धियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों का संरक्षण करने का अधिकार है। साथ ही उसे विवादों के निराकरण का भी अधिकार है—धारा 129(ग)(1)।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल का अपनी परंपराओं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार है—धारा 129(ग)(3)।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को गांव के बाजार तथा मेलों का प्रबंधन करने का अधिकार है—धारा 129(ग)(5)। इसके अंतर्गत पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा अपने गांव में लगने वाले बाजार एवं मेलों के बारे में नियम बना सकती है और उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू करवा सकती है।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं में होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने का अधिकार है—धारा 129(ग)(6)।
- उक्त के अलावा पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को वे सभी अधिकार भी हैं जो अन्य गैर आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को हैं। इनका उल्लेख मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 में किया गया है, जो इस प्रकार हैः—
 - गांव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता से लागू करना—धारा 7(क)।
 - गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना, उसे पास करना तथा पंचायतों द्वारा उसका क्रियान्वयन किए जाने पर उस पर, निगरानी रखना और उसके बारे में ग्राम सभा में बातचीत करना—धारा 7(ख) एवं (ग)।
 - ग्राम पंचायत द्वारा किये गए आय—व्यय, और हिसाब—किताब पर विचार करना तथा ग्राम पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट पर बातचीत करना और सही पाए जाने पर उसका अनुमोदन करना—धारा 7(ग)
 - गांव स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना—धारा 7(ठ)।
 - गांव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि की समीक्षा करना और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना एवं फैसला लेना।

पेसा कानून में ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में ये अधिकार “मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129(ग)” के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख ऊपर बाक्स में किया गया है। इन अधिकारों का इस तरह से समझा जा सकता हैः—

१. परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को आदिवासी समुदाय की सदियों से चली आ रही परंपराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण करने का अधिकार है। यदि ग्राम सभा के सदस्यों को यह महसूस हो कि किसी सरकारी या

गैर सरकारी गतिविधि के कारण उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वे ग्राम सभा की बैठक में उस पर चर्चा कर सकते हैं और उसे रोकने के बारे में फेसला ले सकते हैं।

२. प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में फेसला लेने का अधिकार है। ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित नदियों, पहाड़ों, जंगलों, खदानों आदि का न्यायपूर्ण उपयोग करने के लिए ग्राम सभा निर्णय ले सकती है। साथ ही ग्राम सभा उनके रख-रखाव के बारे में भी फेसला ले सकती है। जंगलों से लघु वनोपज एकत्र करने और उसे बिक्री के बारे में भी ग्राम सभा नियम-कायदे बना सकती है।

३. सामुदायिक संसाधनों के उपयोग एवं प्रबंधन का अधिकार

ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक संसाधन जैसे तालाब, कुएं, चौपाल के ओटले, पशुओं के पीने के पानी आदि के न्यायपूर्ण उपयोग के बारे में ग्राम सभा नियम-कायदे बना सकती है। साथ ही ग्राम सभा उनके रख-रखाव के बारे में भी फेसला ले सकती है।

४. गौण खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार

ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्थित खदानों से गौण खनिज (मिट्टी, रेत, पत्थर आदि) के निकालने के बारे में नियम-कायदे बना सकती है। ग्राम सभा इन खदानों से खनिज निकालने पर रायल्टी भी तय कर सकती है।

गौण खनिज के उत्खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो खनन विभाग के अधिकारी द्वारा उसके आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत की राय के बाद ही आवेदन देने वाले व्यक्ति या संस्था को उत्खनन के लिए पट्टा दिया जाएगा।

५. बाजार एवं व्यापार पर नियंत्रण

पेसा क्षेत्र के गांवों में लगने वाले हाट-बाजार एवं वहां होने वाले व्यापार पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यदि किसी ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, जिससे आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो तो ग्राम सभा में उस पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा चाहे तो उस व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही ग्राम सभा गांव में शराब की बिक्री और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा सकती है या उसके बारे में कोई नियम-कायदे बना सकती है।

६. आपसी विवादों के निपटारे का अधिकार

पेसा क्षेत्र में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर ग्राम सभा को उस पर चर्चा करने तथा उसका निपटारा करने का अधिकार है। आदिवासी क्षेत्र की ग्राम सभा उन विवादों का अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार फेसला करेगी, जो दोनों या सभी पक्षों पर मान्य होगा।

उदाहरण— राजपुर जनपद अन्तर्गत आने वाली बघाड ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने अपने ग्राम की सीमा में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लगाया।

७. साहूकारी पर नियंत्रण का अधिकार

साहूकारों द्वारा आदिवासियों को दिए जाने वाले ऋण के नियम—कायदों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यह उल्लेखनीय है कि साहूकारी का काम उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसे साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत यह काम करने के लिए लायसेंस प्राप्त है। किन्तु वह व्यक्ति भी अपनी मनमर्जी का ब्याज नहीं वसूल सकता। ग्राम सभा उसके बारे में नियम—कायदे बना सकती है तथा साहूकार और कर्जदार के बीच विवाद होने की दशा में ग्राम सभा उसका निराकरण कर सकती है।

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को यह भी अधिकार है कि वह लायसेंस होने के बाद भी साहूकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी यदि कोई व्यक्ति साहूकारी का व्यवसाय करता है तो उसे दो साल की जेल की सजा या 10 हजार रुपए जुमार्ना या दोनों सजाएं हो सकती है।

यदि साहूकार के पास पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है तो वह धन की वसूली नहीं कर सकता।

८. भूमि अधिग्रहण के बारे में ग्राम सभा के अधिकार

पेसा क्षेत्र में सरकार, ग्राम सभा की अनुमति के बिना, किसी भी काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। भूमि अधिग्रहण करने से पहले सरकार ग्राम सभा को सूचित करेगी और ग्राम सभा में उस पर चर्चा होगी। यदि ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है तो ही सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

९. सार्वजनिक सेवाओं पर निगरानी का अधिकार

ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक सेवाएं जैसे आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, उप—स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर निगरानी व नियंत्रण का अधिकार सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की तरह ही पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को भी है। पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा इन सेवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर सकती है और उनके खुलने व बंद होने के समय, सेवाओं की गुणवत्ता आदि के बारे में फैसले ले सकती है। सेवाओं से संबंधित विभाग को अपनी अनुशंसाएं भी भेज सकती है। साथ ही ग्राम सभा में इन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है कि उन सेवाओं का उपयोग गांव के लोगों को अच्छी तरह मिल रहा है या नहीं। ग्राम सभा उन सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को, बैठक के दौरान बुलाकर, उनसे सवाल भी पूछ सकती है।

१०. ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी का अधिकार

ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों और कार्यों पर ग्राम सभा को निगरानी करने का अधिकार है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों पर चर्चा की जाएगी तथा ग्राम सभा के सदस्य सरपंच से उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का हिसाब—किताब देख सकता है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का कर्तव्य है कि वे ग्राम पंचायत के आय—व्यय का पूरा विवरण ग्राम सभा को बताए एवं हिसाब—किताब के सभी दस्तावेज ग्राम सभा में रखें। ग्राम सभा द्वारा यह भी देखा जाएगा कि ग्राम पंचायत द्वारा किया गया खर्च सही है या नहीं। यदि किसी खर्च पर ग्राम सभा को कोई शंका हो, तो ग्राम सभा सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। यदि ग्राम सभा को लगता है कि पंचायत द्वारा खर्च सही तरीके से नहीं किया गया है तो ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पास कर सकती है।

११ भूमि नामांतरण एवं बंटवारे का अधिकार

ग्राम सभा को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में लोगों की जमीन का नामांतरण एवं अविवादित भूमि के बंटवारे का अधिकार प्रदान किया गया है। अपनी जमीन का नामांतरण एवं बंटवारा करवाने वाले व्यक्ति ग्राम सभा में इस आशय का प्रस्ताव रख सकते हैं। उनके प्रस्ताव पर ग्राम सभा में पहले बातचीत की जाएगी इसके बाद ही प्रस्ताव पास किया जाएगा।

गैर पेसा क्षेत्र व पेसा क्षेत्र की तुलनात्मक सारणी


संकेतक	गैर पेसा क्षेत्र	पेसा क्षेत्र
ग्राम सभा	प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा	प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी लेकिन यदि लोग चाहें तो आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गांव के मजरा, टोला, पारा, फलियां, पुरा, खुड़ा आदि में आवेदन देकर प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है।
ग्राम सभा का कोरम	कुल मतदाताओं का एक दशांक – अर्थात् 100 में से 10 सदस्य।	कुल मतदाताओं का एक तिहाई – अर्थात् 100 में से 33 सदस्य, जिसमें 11 महिलायें हों।
ग्राम सभा की अध्यक्षता	सरपंच द्वारा या सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच और यदि उपसरपंच भी नहीं है तो किसी वरिष्ठ पंच द्वारा।	अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के उस सदस्य के द्वारा की जायेगी जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से चुना हो परंतु वह पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या कोई सदस्य नहीं होना चाहिये।
ग्राम सभा को आदिवासी समुदाय की परंपराओं, रुद्धियों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा विवादों को निपटाने का अधिकार	आपसी विवादों के निपटारे ग्राम सभा द्वारा सरकार के कानूनों/नियमों के अनुसार ही होंगे।	<p>मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अध्याय 14-क, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, धारा 129(ग) में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं –</p> <ul style="list-style-type: none"> • ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं, रुद्धियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक साधनों का संरक्षण करने तथा उनके संरक्षण के लिए फैसले लेने का अधिकार। • आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार। • ग्राम सभा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार। • ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल आदि का परंपरा एवं संविधान के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार।
ग्राम सभा बैठक की अवधि	वर्ष में कम से कम 4 तय तारिखों में बैठक होना अनिवार्य है।	तीन माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य है।
अनुसूचित क्षेत्र में किसी गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी व्यक्ति की भूमि	सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं को यह अधिकार नहीं है।	इस प्रावधान को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959” की धारा 170(ख) में संशोधन कर एक नई उप धारा 2(क) जोड़ी गई है।

<p>पर कब्जा करने या उस भूमि को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को प्रतिवर्तित करने पर वह भूमि पुनः आदिवासी भू स्वामी को दिलवाने का अधिकार</p>		<ul style="list-style-type: none"> इसके अनुसार यदि पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा यह पाती है कि किसी गैर आदिवासी व्यक्ति ने किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है तो वह जमीन उस व्यक्ति को, जो मूल रूप से उसका मालिक है, दे दी जाएगी। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो वह जमीन उसके वारिस को दी जाएगी। यदि गैर आदिवासी कब्जेदार ग्राम सभा के आदेश का पालन न कर जमीन मूल आदिवासी मालिक को नहीं सौंपता है तो ग्राम सभा यह मामला उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम) को सौंपेगी। एस.डी.एम. मामला प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ग्राम सभा के निर्णय का पालन करवाएंगे और भूमि उसके मूल मालिक को दिलायेंगे।
<p>ग्राम सभा क्षेत्र में नशीले पदार्थों को बनाने और उन्हें बेचने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार</p>	<p>सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं है।</p>	<p>इस प्रावधान को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1997” के अध्याय 8 (क)) की धारा 61(ख), 61(ग), 61(घ), 61(ड) एवं 61(च) में संशोधन कर निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग एवं सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर उपयोग के लिए देशी शराब बनाई और उपयोग की जा सकती है। किन्तु वे बनाई गई इस देशी शराब को बेच नहीं सकते। शराब बनाने की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति साढ़े चार लीटर और एक परिवार में अधिकतम 15 लीटर होगी। पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। किन्तु यदि कोई कारखाना पहले से स्थापित है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। राज्य सरकार ग्राम सभा की अनुमति के बगैर उस ग्राम सभा क्षेत्र में नशीले पदार्थ बनाने का कारखाना लगाने की अनुमति नहीं दे सकती। यदि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ बनाने या बेचने पर प्रतिबंध लगाती है तो उस ग्राम सभा क्षेत्र में मादक पदार्थ बनाने का कोई कारखाना नहीं लगाया जा सकता और न ही मादक पदार्थ (शराब आदि) बेचने की दुकान खोली जा सकती है।

कैसे करें ग्रामसभा में भागीदारी ?

ग्रामसभा की सीढ़ियां

पहली सीढ़ी : ग्राम सभा में जाने की तैयारी



ग्राम सभा में जाने की तैयारी करना ग्राम सभा में भागीदारी की पहली सीढ़ी है। यदि हम पहले से तैयारी करके जाएं तो ग्राम सभा में अपनी बात अच्छी तरह रख सकते हैं और वहां होने वाली चर्चाओं एवं फैसलों में भागीदारी भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में जाने की तैयारी इस प्रकार की जा सकती है :—

- यह तय करें कि हमारा मुद्दा या समस्या क्या है जिसे हम ग्राम सभा में रखना चाहते हैं। मुद्दे के संबंध में हमारे पास क्या तर्क और प्रमाण हैं, मुद्दे पर और किन लोगों का साथ मिल सकता है।

- हम गांव के अधिक से अधिक लोगों को ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित करें।
- यह भी देखें कि पंचायत के अन्य मुद्दे क्या हैं, जिन पर ग्राम सभा में चर्चा होना है या होना चाहिए।
- मुद्दों का प्राथमिकीकरण करें।

दूसरी सीढ़ी : एजेण्डा जानना और जरूरी मुद्दों को एजेण्डा में जुड़वाना

ग्राम सभा की बैठक से सात दिन पहले एजेण्डा जारी किया जाता है। एजेण्डा का मतलब वे मुद्दे, जिन पर ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों को एजेण्डा में शामिल करवा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन भी ग्राम सभा को अपने मुद्दे भेजते हैं, जिन्हें एजेण्डा में शामिल किया जाता है। पंचायत राज कानून में ग्राम सभा को लोगों की अपनी सभा माना गया है, लोगों को ग्राम सभा के एजेण्डा में अपने मुद्दे शामिल करवाने का अधिकार है। अतः ग्राम सभा में भागीदारी की दूसरी सीढ़ी ग्राम सभा का एजेण्डा जानना है। यह भी जानें कि राज्य सरकार, जिला व जनपद पंचायत से कौन-कौन से मुद्दे आए हैं।

सवाल पूछने के पूर्व हमें सवाल करने व उत्तर देने का अभ्यास छोटे समूहों में कर लेना चाहिए। हम जैसे ही दूसरों से प्रश्न करते हैं हम पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम शिक्षकों से शिक्षा के स्तर से जुड़ा कोई प्रश्न करते हैं तो वे भी समुदाय से बच्चों को नियमित विद्यालय न भेजने से जुड़ा प्रश्न कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उत्तर देने के लिए भी अभ्यास एवं तैयारी करना चाहिए।

तीसरी सीढ़ी : ग्रामसभा में उपस्थित होना

ग्राम सभा ग्रामवासियों की सभा है, इसलिए बगैर ग्रामवासियों के यह सभा नहीं हो सकती। अतः ग्राम सभा में सभी लोगों को उपस्थित होना आवश्यक है। ग्राम सभा में सदस्यों की जितनी अधिक उपस्थिति होगी उतनी ही अच्छी चर्चा होगी और सही निर्णय भी लिये जा सकेंगे। ग्राम सभा को गांव के विकास के महत्वपूर्ण फैसले लेने का कानूनी अधिकार है। यदि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति कम रहती है तो लिये गए निर्णय व फैसलों की जानकारी कुछ ही लोगों तक ही सीमित रहेगी। सामान्यतः देखा गया है कि वंचित समुदाय विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति न होने के कारण उनके मुद्दों व तर्कों को निर्णय प्रक्रिया में स्थान नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में लिये गए निर्णय वंचित वर्ग के लिए लाभप्रद नहीं होते। इसलिए ग्राम सभा में गांव के सभी तबकों के महिला-पुरुषों का शामिल होना जरूरी है।

चौथी सीढ़ी : सवाल पूछना

ग्राम सभा में उपस्थिति के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम वहां सवाल पूछना है। ग्राम सभा में हम ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, राशन दुकान डीलर आदि से भी उनके कार्यों के

बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इन कर्मचारियों को ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिये निर्देश दे सकते हैं।

पांचवी सीढ़ी : समस्याएं या मुद्दे रखना

ग्राम सभा में सवाल पूछने के साथ ही वहां लोग अपनी समस्याएं व मुद्दे रख सकते हैं। यदि हमारे बार्ड, गांव या पंचायत से संबंधित कोई समस्या हो तो उन्हें भी हम ग्राम सभा में रख सकते हैं। ग्राम सभा शुरू होते समय हम ग्राम सभा के अध्यक्ष को अपने मुद्दे या समस्या की जानकारी मौखिक या लिखित में दे सकते हैं। लोग अपने मुद्दों को ग्राम सभा का एजेण्डा जारी होने से पहले भी ग्राम पंचायत सचिव को लिखित में देकर एजेण्डा में शामिल करवा सकते हैं।

मुद्दों का चयन करते समय उस मुद्दे से प्रभावित होने वाले समुदाय के सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्हें भी ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिये कहें ताकि मुद्दे को सार्वजनिक मुद्दे के रूप में ग्राम सभा में स्वीकार कराया जा सके।

उदाहरण—बड़वानी जिले के राजपुर विकासखण्ड अन्तर्गत कई ग्रामों में महिलाओं ने संगठित प्रयास से अपने ग्राम को शराब मुक्त ग्राम बनाया। प्रारम्भ में उन्हें पुरुषों का सहयोग कम मिला। महिलाओं ने स्वयं को संगठित कर इस मुद्दे पर सहयोग करने वाले सदस्यों व संस्थाओं की पहचान की। परिणाम स्वरूप पंचायत प्रतिनिधियों, धार्मिक केन्द्रों व संस्थाओं ने भी महिलाओं का समर्थन किया और ग्राम शराब मुक्त बन सके।

छठवी सीढ़ी : मुद्दों पर चर्चा करना

उदाहरण— ग्राम की आगनवाड़ी केन्द्र का पहुँच मार्ग दुर्गम है और आप का मकान भी उसी रास्ते पर है। यदि आप बिना किसी पूर्व तैयारी और समुदाय से चर्चा किए बिना सकरात्मक रूप से भी मुद्दा ग्राम सभा में रखेंगे तो ग्राम सभा के कुछ सदस्य इसे आपका व्यक्तिगत हित बताकर मुद्दे को कमज़ोर बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप ग्राम के 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिभावकों, गर्भवती स्त्रियों एवं किशोरी बालिकाओं से इस मुद्दे पर ग्राम सभा के पूर्व चर्चा करके सामूहिक सहमति के साथ इस मुद्दे को ग्राम सभा में प्रस्तुत करते हैं तो यह अधिक प्रभावी होगा।

ग्राम सभा में मुद्दे रखने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम मुद्दों पर चर्चा करना है। अतः अपने मुद्दे के पक्ष में तर्क व जानकारियां ग्राम सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी मोहल्ले में पानी की समस्या है तो चर्चा के दौरान यह बताना चाहिए कि कितने परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं? उन्हें कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है? इससे उनके जीवन पर क्या असर हो रहा है? महिलाओं, बालिकाओं

तथा समाज के कमजौर तबकों पर क्या असर पड़ रहा है? आदि बातें रखी जा सकती हैं। बेहतर होगा यदि इस समस्या से प्रभावित सदस्य स्वयं अपने तर्क ग्राम सभा में रखें। इसी तरह अन्य मुद्दे भी रखे जा सकते हैं।

सातवी सीढ़ी : फेसलों में भागीदारी करना

मुद्दों पर चर्चा के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होता है – फेसला लेना। फेसला किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की मर्जी से न हो, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की भागीदारी और बहुमत के आधार पर होना चाहिये। सामान्यतः देखा गया है कि ग्राम सभा में वंचित समुदाय की कम उपस्थिति के कारण शक्तिशाली समुदाय के सदस्य अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर लेते हैं। वहीं कई ग्राम सभाओं में वंचित वर्ग के संगठित प्रयास से कई ऐसे कठोर निर्णय लिए गए जो प्रारम्भिक अवस्था में शक्तिशाली समुदाय को स्वीकार नहीं थे, लेकिन लोगों के एकजुट होने के कारण उन्हें इन निर्णयों को स्वीकार करना पड़ा।

आठवीं सीढ़ी : लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनना और दस्तखत करना

ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही तथा लिए गए सभी निर्णय ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में सचिव द्वारा लिखे जाते हैं। ग्राम सभा की समाप्ति पर सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह लिखी गई कार्यवाही और निर्णयों को पढ़कर सुनाए। सभी सदस्य इसे ध्यान से सुनें तथा गौर करें कि ग्राम सभा की बैठक में लिए गये सभी निर्णय कार्यवाही रजिस्टर में आ गये हैं या नहीं और उन्हें ठीक उसी प्रकार लिखा गया है या नहीं जिस तरह से फैसले लिये गए हैं। इसके उपरांत कार्यवाही रजिस्टर में अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जायें। अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि चर्चा के समय ही हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और ग्राम सभा को पता ही नहीं चल पाता कि कार्यवाही पंजी में क्या निर्णय लिखे गए।

ग्राम सभा सदस्य के अधिकार -

- स्वतंत्र ग्राम सभा का एजेन्डा प्राप्त करने का अधिकार।
- एजेन्डे में मुद्दा जुड़वाने का अधिकार।
- पंचायत में रखे जाने वाले समस्त दस्तावेजों को किसी भी सदस्य द्वारा देखने का अधिकार।
- ग्राम सभा में अपनी बात रखने का अधिकार।
- स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने का अधिकार (निर्णय के लिये कोई भी दबाव नहीं बना सकता।)

- रूप से अपना पक्ष रखने का अधिकार (निर्णय के लिये कोई भी दबाव नहीं बना सकता।)

ग्रामसभा बैठक में भागीदारी की कार्ययोजना

अभी हमने ग्राम सभा के प्रावधानो को समझा अब आवश्यकता है कि इन ग्राम सभाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाये। समूह एवं ग्राम संगठनों की क्या तैयारी हो ग्राम सभा को प्रभावी बनाने में।

अब प्रशिक्षक यह पूछे कि आगामी ग्रामसभा में वे क्या मुद्दे या समस्याएं रखना चाहेंगी। सहभागियों द्वारा बताए गए मुद्दों को एक कार्डशीट पर लिखकर सूची बनाएं। जब सभी सहभागियों द्वारा अपने—अपने मुद्दे बता दिए जाएं तो यह देखें कि कौन से मुद्दे हल करना जरूरी एवं आसान है। यह बताएं कि एक बार में एक ही मुद्दा ले सकते हैं। सहभागियों की मदद के लिए एक मुद्दा चुनें।

अब सहभागियों के तीन या चार समूह बांटकर कहें आप अपने समूह में इस बात की तैयारी करें कि इस मुद्दे को किस तरह ग्रामसभा में रखेंगी। अपने मुद्दे के पक्ष में क्या तर्क, आंकड़े व जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

समूह में अभ्यास के लिये अधिकतम आधा घंटे का समय दे सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह को उस मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। उनसे कहें कि वे उसी तरह इस मुद्दे को रखें, जिस तरह ग्रामसभा में रखना चाहती है।

सभी के प्रस्तुतिकरण के बाद मुद्दे को रखने के लिए क्या सीख निकलकर आई? इस पर चर्चा करें।

इस अभ्यास के बाद आगामी ग्रामसभा में इस मुद्दे को रखने की कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना में इन बिंदुओं को शामिल करें –

- ग्रामसभा में अधिक से अधिक लोग, खासकर महिलाओं को शामिल करना और उन्हें पहले से अपने मुद्दे के बारे में बताना।
- मुद्दे को ग्रामसभा के एजेण्डा में शामिल करवाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच को लिखित में देना।
- मुद्दे को कौन प्रस्तुत करेंगे और उसके पक्ष में कौन—कौन क्या बोलेंगे, इसकी योजना बनाना।
- फैसला लेने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्रामसभा की कार्यवाही को रजिस्टर में लिखा जाना सुनिश्चित करना तथा ग्राम पंचायत सचिव को पढ़कर सुनाने के लिये कहना।
- बैठक की कार्यवाही (ठहराव—प्रस्ताव) की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन देना।
- लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए फॉलोअप (देखरेख एवं निगरानी करना)।

ग्राम सभा के अनुभव

इस सत्र की शुरुआत ग्रामसभा में भागीदारी के फीडबैक से की जाएगी। अभी आप सभी को ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बताया, ग्राम सभा सदस्यों के अधिकारों के बारे में बताया आपके क्षेत्र में अभी तक आपके ग्राम सभा को लेकर कैसे अनुभव रहे हैं, कुछ सवालों के साथ चर्चा की जाये।

- क्या आपके यहाँ ग्राम सभा का आयोजन होता है?
- क्या ग्राम सभा में उपस्थिति पर्याप्त होती है कोरम पूर्ण होता है?
- क्या आपको ग्राम सभा में मुद्दे रखने का अवसर मिलता है या आप कभी किसी समस्या को लेकर ग्राम सभा में गये?
- क्या ग्राम सभा में महिलाओं को अवसर मिलता है अपनी बात रखने का?

इसके बाद प्रशिक्षक ग्रामसभा में भागीदारी करने वाले प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित कर ग्रामसभा में अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। अनुभवों में जो बातें आए, उन्हें लिखे तथा अंत में उन बातों का विश्लेषण करें। कुछ इस तरह के जबाब आने की संभावना होगी।

- ग्राम सभा होती है पर उसमें पुरुष वर्ग के लोग ही जाते हैं
- पंचायत के लोग ही ग्राम सभा में जाते हैं सभी नहीं जाते
- महिलाएं जाती हैं पर बोल नहीं पाती, कोई कहेगा महिलाएं कम ही जाती हैं
- ग्राम सभा में कोई सुनवाई नहीं होती इस लिए कोई नहीं जाता

इस सत्र का विश्लेषण करे और जानने का प्रयास करे की अभी तक ग्राम सभाओं में सक्रिय भागेदारी न होने के मुख्य कारण क्या है उनको ग्राम सभा बैठक एवं समूह एवं संगठन की बैठकों के संचालन पर चर्चा करें।

- समूह एवं ग्राम संगठन की बैठकें नियमित होती हैं
- क्या इन की बैठकों का समय स्थान का पूर्व से निर्धारण किया जाता है
- समूह एवं ग्राम संगठन की बैठकें कैसे की जाती हैं क्या उसका कोई एजेंप्डा होता है
- क्या इन बैठकों में सभी की भागेदारी होती है।
- क्या इन बैठकों में सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है
- क्या इन बैठकों में नियमों का पालन किया जाता है

निश्चित ही इन सभी सवालों के जबाब हों में प्राप्त होंगे।

यहाँ पर प्रतिभागीयों को बताये कि जिस तरह आप सभी के द्वारा अपने समूह एवं ग्राम संगठनों का संचालन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है उसी तरह आप ग्राम सभा का आयोजन भी करा सकते हैं आप निराश नहीं हो ? बल्कि समस्याओं को पहचाने इस पर विचार करे कि किन्हीं कमजोरियों की वजह से ऐसा होता है कमजोरियों को दूर करते हुऐं ग्राम सभा में भागीदारी का संकल्प लें।

समूदाय आधारित संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी की तैयारी कैसी हो

यहाँ पर बदलाव दीदीयों को बाताये कि ग्राम सभा में भागीदारी करने के पूर्व समूह एवं ग्राम संगठन सदस्यों की तैयारी कैसे की जाये ।

- ग्राम सभा के आयोजन की सूचना अपने समूह एवं संगठन में प्रदाय करे।
- ग्राम सभा में जाने के पूर्व संगठन सदस्यों को मुद्दों की पहचान करना आवश्यक है
- मुद्दों का प्राथमिकता का निर्धारण करना आवश्यक है,
- सरपंच सचिव से मिलकर ग्राम सभा के एजेंडा में शामिल कराये अगर सम्भव नहीं हो पाता है तो उनको लिख कर ग्राम सभा में जाये
- ग्राम सभा में मुद्दों को किस के द्वारा रखा जायेगा इस का निर्धारण करे।
- ग्राम सभा में अगर सवाल जबाब होते हैं तो जबाब किस के द्वारा दिया जायेगा इसको निश्चित कर के जाये ।

इस तरह सभी प्रतिभागीयों को ग्राम सभा में सहभाग करने को लेकर एक रणनीति बनाये, अगली ग्राम सभा में प्रतिभाग करने के बाद अपने संगठन में ग्राम सभा में प्रतिभाग करने का विश्लेषण निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर केन्द्रित करें—

1. इस ग्रामसभा में हमारी क्या ताकत रहीं ?
2. इस ग्रामसभा में हमारे सामने क्या चुनौतियां आई ?
3. क्या हमारी कोई कमजोरिया रही ? यदि हां तो कौन सी कमजोरियां थीं और उसका क्या प्रभाव पड़ा ?
4. इस ग्रामसभा की क्या उपब्धियां रही तथा इससे क्या सीख मिली?

उपरोक्त चर्चा के बाद आगामी मुद्दों का चयन कर आगामी ग्रामसभा में रखने की कार्य योजना बनाएं।

क्या सामूहिक नेतृत्व देखा गया? समूह के बाहर की महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाये ।

क्या समूह के सदस्यों ने संबंधों एवं क्षमताओं का पूरा उपयोग किया ?